भारत के राजपत्र, असाधारण (भाग-II) खंड 3 उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 15 मार्च 2019

अधिसूचना

सा.का.नि.-------- (अ) केन्द्र सरकार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 23) की धारा 52 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नैदानिक स्थापन (केंद्रीय सरकार) नियम, 2012 में आगे संशोधन करने हेतु कुछ नियमों के निम्नलिखित प्रारूप को इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तिथि अथवा उससे 30 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद विचार किया जायेगा जिस तिथि को इन प्रारूप नियमों वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हों, अनिल कुमार, अपर उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा संख्या 560-ए, निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011 अथवा ई-मेल help.ceact2010@nic.in को भेजे जा सकते हैं।

उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

प्रारूप नियम

1. (i) इन नियमों को नैदानिक स्थापन (केंद्रीय सरकार) द्वितीय संशोधन नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. नैदानिक स्थापन (केंद्रीय सरकार) नियम, 2012 में, तालिका में अनुसूची में:

(i) क्रम संख्या 1 से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् अंत में, निम्नलिखित नोट को शामिल किया जायेगा, नामत:

'नोट

(i) 'चिकित्सा जांच सामान्यत: चिकित्सक की सलाह पर की जानी चाहिए'

(ii) क्रम संख्या III पर 'मानव संसाधन' से संबंधित' :-

(क) कॉलम 2 में 'जांच रिपोर्ट' शब्दों के लिए 'केवल जांच रिपोर्ट' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ख) कॉलम 3 में ' जहां प्रयोगशाला के परिणामों का निर्वाचन अथवा उसके सम्बन्ध में राय की अपेक्षा हो, तो रजिस्ट्रीकृत बैचलर ऑफ़ मेडिसिन एवं बैचलर ऑफ़ सर्जरी (एमबीबीएस) चिकित्सक आवश्यक है' शब्दों के लिए 'प्रयोगशाला के परिणामों का निर्वाचन अथवा उसके सम्बन्ध में जहां राय की अपेक्षा हो, तो रजिस्ट्रीकृत बैचलर ऑफ़ मेडिसिन एवं बैचलर ऑफ़ सर्जरी (एमबीबीएस) चिकित्सक आवश्यक है' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(फा.सं. जेड-28013/40/2017-एमएस)

डॉ. मंदीप के. भण्डारी, संयुक्त सचिव

नोट:

मुख्य नियम दिनांक 23 मई, 2012 की अधिसूचना सा.का.नि. 387 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण (II) खंड-3 उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और दिनांक 18 मई, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 468 (अ) के जरिए इनमें अंतिम बार संशोधन किया गया था।